



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालीयर कैम्प
उज्जैन म.प्र.

R.M.

R-246-II14

रिविजन क्रमांक ——— /13

श्री साहा कोठेवाले
द्वारा प्रस्तुत
21-11-13
पुस.

राधेश्याम पिता मॉंगीलाल मोगियाँ, आयु 30 वर्ष
धंधा - कृषी, निवासी - राकोदा
तहसील दलोदा, जिला - मन्दसौर म.प्र. ——— रिविजनकर्ता

बनाम

387
30/11/13

Dr. (7-12-13) and
Dr. (20-12-13) and
Dr. (21-12-13) and

1. चम्पाबाई बेवा भँवरलाल मोगियाँ आयु 85 वर्ष
धंधा - कृषी, निवासी - राकोदा
तहसील दलोदा, जिला - मन्दसौर म.प्र.

2. गणेशराम पिता भँवरलाल मोगियाँ आयु 70 वर्ष
धंधा - कृषी, निवासी - राकोदा
तहसील दलोदा, जिला - मन्दसौर म.प्र.

3. मॉंगीलाल पिता भँवरलाल मोगियाँ आयु 60 वर्ष
धंधा - कृषी, निवासी - बरखेड़ी
तहसील पिपलोदा, जिला - रतलाम म.प्र.

4. रमेश पिता भँवरलाल मोगियाँ आयु 40 वर्ष
धंधा - कृषी, निवासी - पिगंराला
तहसील पिपलोदा, जिला - रतलाम म.प्र.

8-1-14

(Signature)

रिविजन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू. राजस्व
सहिंता

(Signature)

(Signature)

माननीय न्यायमुर्ती महोदय

रिविजनकर्ता कि और से माननीय न्यायालय
के समक्ष निम्न याचिका प्रस्तुत कर निवेदन है कि :-

माननीय न्यायालय के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ
इन्दौर के याचिका क्रमांक 10941/13 में आदेश एवं निर्देशानुसार
उक्त रिविजन प्रस्तुत है।



स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24.11.2016	<p>आवेदक की ओर से कोई उपाक्षित नहीं। दिनांक 20.1.2016 को आवेदक की ओर से श्री ओवेश सिंह अभिभाषक उपाक्षित उद्योग, तब से कोई भी उपाक्षित नहीं हो रहा है। अतः प्रकरण अग्रम पेंची में खालि किया जाता है।</p>	<p><i>[Signature]</i> अध्यक्ष</p>

[Signature]